

गोवावासियों का पासपोर्ट नरिस्तीकरण

प्रलिस के लयि:

[ओवरसीज़ सटीज़नशपि ऑफ इंडयिा \(OCI\)](#), PIO, पासपोर्ट अधनियिम, 1967, [नागरकित्ता](#)

मेन्स के लयि:

[नागरकित्ता](#), [पुरतगाली शासन](#), [भारतीय परवासयिों की भूमकित्ता](#)

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में [वदिश मंत्रालय \(MEA\)](#) द्वारा जारी एक [जज्ञापन](#) के कारण पछिले कुछ महीनों में गोवा के 100 से अधिक लोगों के [पासपोर्ट नरिस्त](#) कर दयि गए हैं।

- इन लोगों, जो शायद जज्ञापन के बारे में नहीं जानते होंगे, पर पुरतगाल के नागरकि बनने के बाद अपने पासपोर्ट सरेंडर करने का परयास करते समय महत्त्वपूर्ण जानकारी छपाने का आरोप है।

पासपोर्ट क्यो नरिस्त कयि जा रहे हैं?

- गोवा का पुरतगाली संबंध:
 - गोवा एक पूर्व [पुरतगाली उपनविश](#) है, जो वर्ष 1510 से वर्ष 1961 यानी लगभग 450 वर्षों तक पुरतगाली शासन के अधीन रहा।
 - पुरतगाली कानून के अनुसार:
 - 19 दसिंबर, 1961 (जसि दिन गोवा पुरतगाली शासन से मुक्त हुआ था) से पहले गोवा में पैदा हुए लोगों और आने वाली दो पीढ़यिों के पास पुरतगाली नागरकि के रूप में पंजीकरण कराने का विकल्प है।
 - कई गोवावासयिों ने [सेंट्रल रजिस्ट्री](#) में अपना जन्म स्थान [लसिबन](#) लखिा है और पुरतगाली नागरकित्ता हासलि कर ली है।
 - पुरतगाली पासपोर्ट UK और [युरोपीय संघ](#) सहति कई देशों में [वीज़ा-मुक्त प्रवेश](#) प्रदान करता है।
 - [वदिशी रोज़गार](#) और शैकषकि अवसरों के आकर्षण ने गोवावासयिों को पुरतगाली नागरकित्ता लेने के लयि प्रेरति कयिा है।
- वदिश मंत्रालय का वर्ष 2022 का जज्ञापन:
 - वदिश मंत्रालय ने 30 नवंबर, 2022 को एक [जज्ञापन](#) जारी कयिा, जसिके अनुसार वशिष रूप से "पूर्व भारतीय नागरकि द्वारा वदिशी राष्ट्रियता प्राप्त करने के बाद भारतीय पासपोर्ट को जमा कयिा जाना था।
 - जज्ञापन में पासपोर्ट जमा/सरेंडर प्रमाणपत्रों से संबंधति मामलों को वर्गीकृत कयिा गया है और एक वशिष श्रेणी के परणामस्वरूप कुछ गोवावासयिों के पासपोर्ट नरिस्त कर दयि गए हैं।
 - [पासपोर्ट अधनियिम 1967](#) की धारा 10 (3) (b) के तहत दूसरे देश की [नागरकित्ता](#) का तथ्य छपिकर प्राप्त कयिा पासपोर्ट रद्द कयिा जा सकता है, भले ही उसका उपयोग यात्रा के लयि न कयिा गया हो।
 - वदिश मंत्रालय के इस जज्ञापन से पहले पासपोर्ट अधिकारी द्वारा भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करने और सरेंडर प्रमाणपत्र जारी करने पर जुरमाना लगाया जाता था, जसिे वर्ष 2020 के [केरल उच्च न्यायालय](#) के नरिणय में अमान्य घोषति कर दयिा गया था, जसिमें कहा गया था कि पासपोर्ट अधिकारी जुरमाना नहीं लगा सकता है, बल्ककिेवल पासपोर्ट अधनियिम के उल्लंघन के लयि मुकदमा चला सकता है।
- पासपोर्ट का नरिसन और OCI कार्ड जारी करना:
 - [दोहरी नागरकित्ता](#): चूँकि भारत [दोहरी नागरकित्ता](#) की अनुमति नहीं देता है। इसलयि आधिकारकि पुरतगाली पासपोर्ट प्राप्त करने वाले गोवावासयिों को अपनी भारतीय नागरकित्ता छोड़नी होगी।
 - [OCI स्थिति](#): भारतीय पासपोर्ट रद्द होने से ये वयक्ति [ओवरसीज़ सटीज़नशपि ऑफ इंडयिा \(OCI\)](#) के लयि आवेदन करने में असमर्थ हो गए हैं।
 - पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारयिों द्वारा जारी '[सरेंडर सर्टफिकेट](#)' की अब तक उन लोगों को आवश्यकता रही है, जो [OCI कार्ड](#) के लयि आवेदन करना चाहते हैं।

- हालाँकि पासपोर्ट रद्द होने के कारण ये लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सके।
- वदिश मंत्रालय का वर्तमान ज्जापन, पासपोर्ट अधिकारियों को उन मामलों में **सरेंडर सर्टिफिकेट** के बजाय 'नरिस्तीकरण प्रमाणपत्र' जारी करने का नरिदेश देता है, जहाँ जानकारी छपाकर भारतीय पासपोर्ट प्राप्त कये गये थे।
- इससे पुर्तगाली नागरिकता प्राप्त करने वाले पूर्व पुर्तगाली कषेत्रों के भारतीय नागरिकों को **भारत की वदिशी नागरिकता (OCI)** के लये आवेदन करने की अनुमति मिले जयेगी।
- OCI स्टेटस भारतीय मूल के **वदिशी नागरिकों को** अनश्चिति काल तक भारत में रहने और काम करने की **अनुमति देता है।**

गोवा में पुर्तगाली शासन:

- भारत के पश्चिमी तट पर स्थिति गोवा **वर्ष 1510 से वर्ष 1961 तक** एक पुर्तगाली उपनिवेश था।
- इस छोटे तटीय कषेत्र को **अफोंसो-डी-अल्बुकरक ने जीत लिया**, जो पूर्वी मसाला व्यापार के लये एक महत्त्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गया।
- उल्लेखनीय रूप से गोवा ने 450 वर्षों तक क्रेप ऑफ गुड होप के पूर्व में संपूर्ण पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य कये।
- वर्ष 1940 के दशक में जैसे ही भारत, ब्रिटिशराज से स्वतंत्र हुआ, गोवा में भी स्वतंत्रता के लये संघर्ष शुरू हो गया।
- अंततः 19 दसिंबर, 1961 को अपने उपनिवेशीकरण की चार शताब्दियों से भी अधिक समय पश्चात् गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कर दये गया।

भारत का वदिशी नागरिकता (OCI) कार्ड:

- **परचिय:**
 - OCI की अवधारणा वशिष रूप से वकिसति देशों में **भारतीय प्रवासियों** द्वारा **दोहरी नागरिकता** की मांग के जवाब में प्रस्तुत की गई थी।
 - गृह मंत्रालय OCI को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परभाषति करता है, जो:
 - 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद **भारत का नागरिक** था; या
 - 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था; या
 - अन्य पात्रता मानदंडों के बीच ऐसे **व्यक्तिका बच्चा या पोता** है।
 - **OCI कार्ड नयियों की धारा 7A** के अनुसार, कोई आवेदक OCI कार्ड के लये पात्र नहीं है यदविह, उसके माता-पति या दादा-दादी कभी **पाकस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों।**
 - भारत सरकार ने **नागरिकता (संशोधन) अधनियम, 2015** के माध्यम से वर्ष 2015 में **भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) श्रेणी को OCI श्रेणी** के साथ वलिय कर दये।
- **ऐतहासकि पृष्ठभूमि:**
 - **OCI कार्ड योजना** वर्ष 2005 में **प्रवासी भारतीय दविस** के दौरान शुरू की गई थी।
 - इसे अपने मूल देश के प्रती प्रवासी भारतीयों के भावनात्मक लगाव और राष्ट्र के विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका को **स्वीकार** करने के रूप में प्रस्तुत कये गया था।
- **OCI कार्ड के लाभ:**
 - भारत आने के लये एक से अधिक बार प्रवेश, जीवनपर्यंत वीजा।
 - ठहरने की कसि भी अवधितक पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने से छूट, **वदिशी कषेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO)** से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं।
 - वत्तीय, आर्थिक और शैक्षिक कषेत्रों में अनवासी भारतीयों (NRI) के साथ समानता।
- **सीमाएँ एवं प्रतबंध:**
 - उन्हें **मतदान का अधिकार नहीं** है।
 - वे कृषि अथवा कृषि भूमि नहीं खरीद सकते।
 - अनुसंधान कार्य को छोड़कर सभी गतविधियों जनिके लये संबंधित भारतीय मशिन अथवा पोस्ट या FRRO से वशिष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
 - कार्ड धारक **चुनाव में भाग नहीं** ले सकते अथवा **सार्वजनिक पद धारण नहीं** कर सकते, जो नागरिकता एवं वदिशी नागरिकता के बीच स्पष्ट सीमाएँ बनाए रखने पर सरकार के रुख को दर्शाता है।
- **वर्तमान परदृश्य:**
 - OCI कार्ड योजना, प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को गहरा करने के भारत सरकार के प्रयास का एक प्रमुख तत्त्व रही है।
 - मार्च 2020 तक गृह मंत्रालय ने 3.5 मिलियन से अधिक OCI कार्ड जारी कये थे।
 - इनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा में वदिशी नागरिकों को जारी कये गये थे।

A PERSON OF INDIAN ORIGIN (PIO)

PIO VS OCI

OVERSEAS CITIZEN OF INDIA (OCI)

- Means a **foreign citizen** (except a national of Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, China, Iran, Bhutan, Sri Lanka and Nepal)
- A **foreign citizen whose one of the parents/grandparents/great grandparents was born and a permanent resident of India**
- Who is a **spouse** of a citizen of India or a PIO

BENEFITS

1. PIO card holders **do not require a visa to visit India** for a period of 15 years from the date of issue of the PIO card.
2. They are **exempted from registration at FRRO/FRO** if their **stay does not exceed 180 days**. In case if the stay exceeds 180 days, they shall have to register with FRRO/FRO within the next 30 days
3. They **enjoy parity with NRIs in economic, financial and educational benefits**
4. All **future benefits that would be exempted to NRIs** would also be available to the **PIO card holders**

A **foreign national**, who was **eligible to become citizen of India on 26.01.1950** or was a citizen of India on or at anytime after **26.01.1950** or belonged to a territory that became part of India after **15.08.1947** is **eligible for registration as Overseas Citizen of India (OCI)**. Minor children of such person are also eligible for OCI. However, if the applicant had ever been a citizen of Pakistan or Bangladesh, he/she will not be eligible for OCI.

BENEFITS

- OCIs are **entitled to a multipurpose, multiple entry, lifelong visa** allowing them to visit India at any time, for any length of time and for any purpose
- **Exempted from police reporting** for any length of stay in the country
 - **Have also been granted all rights in the economic, financial and education fields in parity with NRIs** except, the right to acquisition of agricultural or plantation properties

दृष्टमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास पर भारतीय प्रवासियों की भूमिका तथा भारत की विदेश नीति पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा कीजिये। प्रवासी भारतीयों ने भारत को सॉफ्ट पावर बनाने एवं वैश्विक प्रतिष्ठा के निर्माण में किस प्रकार योगदान दिया है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है।
2. जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।
3. जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

2. एक बार जारी होने के पश्चात् इसे नरिगत करने वाला प्राधकिरण आधार संख्या को नषिकरयि या लुप्त नहीं कर सकता ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक नरिणायक भूमिका नभिनी है । उदाहरणों सहति टपिपणी कीजयि । (2020)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/passport-revocations-of-goans>

